

08/5
2024

अधिकार पानी एवं बेरोमा लगाना उपर
 पक्ष प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई
 अधिकार विषय प्रकरण इस प्रकार
 है कि पानी ने विरुद्ध विपरीत का
 अधिकार धारा 136 के अन्तर्गत पक्ष
 इस आधार का प्रस्तुत किया कि पानी
 के रखेदारी अधिकार एवं कच्चे काष्ठ
 की ग्राम लेमलिया प.ह. लेमलिया के
 अधिकार आ.नं. 121/15 रकम 5 बीघर
 लिट्टे जो ना.सं. 428 दिनांक 17/6/1981
 के रजि. रेकार्ड है इस उक्त काराजी के
 पानी के प्रकरण में नम्बर 312 501
 की रकम 104 है। सुप्रसन्न
 कार्यवाही के दौरान लेमलिया अधिकारी
 के बिना पानी अधिकार के पानी का
 नाम लोमचण्ड के बजाय लामिचण्ड
 रजि. रेकार्ड का दिनांक है, जिसे पानी उपर

(वीनू देवल)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 चित्तौड़गढ़ (राज.)

मामल

नाम राजद्वय रेकार्ड में पुनः सुद्धि करके
का इच्छिमारी है। अतः प्राची का
प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाकर गाम
हिमालीया तहसील चित्तौडगढ़ के वर्तमान
आ. नं. 312, 501 रकबा 1104 हे. के
लाभचर पिता पुन्नीलाल केहीर सा. देह
के वजाय लाभचर पिता पुन्नीलाल
केहीर सा. देह की रेकार्ड किए जाने का
आदेश उदान कराया जावे।

चेरीमा लागू 15 अक्टूबर 1984
दिया जावे पर वहल समय पर
सुने जावे। हमने पत्राली का गहनता
से अध्ययन का प्रमाण पत्र जवाब
प्रमाण पत्र एवं प्राची 15 अक्टूबर
राजद्वय रेकार्ड का अध्ययन कर समय
पर की कहेल पर भगत किया।

प्राची शाय ग्राम हिमालीया तह. चित्तौडगढ़
की लाकिड आ. नं. 121/15. रकबा 5 बीघर
शाय प्राची के लक्ष्मणलाल पिता राधाकिशोर
चौबे नि. चित्तौडगढ़ जखिर पंजीकृत विक्रय
पत्र के रूप की जिसका नामान्तरण काण 426
दिनांक 17/06/81 शोला जाकर जमाबंदी
लाभ 2031-2034 में अमल लाभचर
पिता पुन्नीलाल केहीर के नाम हुआ निवीर
अ. प्रकल्प से उक्त लाकिड शायजी
121/15. के निवीर आ. नं. 312, 501 बीला
रकबा 1104 हे. के लेकिन जमाबंदी
अक्टूबर 2041 से 2044 में नाम लाभचर
पिता पुन्नीलाल केहीर सा. का रिक्त मधु
एवं वर्तमान जमाबंदी 2078-2081 लाभचर
पिता पुन्नीलाल केहीर की इन रेकार्डों

12

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपलब्ध अधिकारी
चित्तौडगढ़ (राज.)

ख
म

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

अतः जमीन का पार्ष्णिय यत्र
 अन्तर्गत खण्ड 136 पर भू (बीका)
 किन्ना जमीन गुण्य लेखनीया पं. हं
 सेमलिया तहसील चिमंडार के खान
 भखेया 424 से अर्कित आ. सं. 312,
 501 कीता 2 रकबा 1.05 प. 8. से खोलेया
 लामचन्द पिता युन्नीलाल अहीर सा. देह
 के बजाय लामचन्द पिता युन्नीलाल अहीर
 सा. देह अर्कित किए जाने के आदेश
 दिए जाते हैं अथवा पालगान्नी निवेद्य
 की जति तहसीलया चिमंडार से
 प्रकित की जावे। परखती के खान शुभ्या
 होया गज्ज से कस हो।

(बीनू देवल)
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 वितीइयड (राज.)